



प्रेस नोट थाना डिडौली

दिनांक 29.05.2021

क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑन लाइन शॉपिंग कर धोखाधडी से खरीददारी करने वाले बैंक कर्मी,जियो कम्पनी मैनेजर सहित 03 जालसाज अभियुक्त मय घटना मे प्रयुक्त मोबाइल, सिम, एक सोने की चैन व क्रेडिट कार्ड सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.05.2021 को क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑन लाइन शॉपिंग करने वाले गिरोह के बैंक कर्मी सहित 03 जालसाज अभियुक्त मय घटना मे प्रयुक्त मोबाइल, सिम, एक सोने की चैन व क्रेडिट कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2021 को वादी मुकदमा श्री अर्जुन सिंह पुत्र सत्यप्रकाश नि0 मौहल्ला जामा मस्जिद थाना डिडौली जनपद अमरोहा उसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धोखाधडी कर करीब 01 लाख 50 हजार रुपये की शॉपिंग करने के सम्बन्ध मु0अ0स- 24/2021 धारा 420/406 भादवि थाना डिडौली पर पंजीकृत कराया गया । उक्त घटना के अनावरण हेतु श्रीमती सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा थाना डिडौली पुलिस व सर्विलांस टीम का गठन किया गया । उक्त घटना की गहनता से छानबीन व संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त भास्कर शर्मा का नाम प्रकाश मे आया जिसने उक्त घटना मे अपने साथ अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना बताया गया ।

आज दिनांक 29.05.2021 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्त भास्कर शर्मा को नारंगपुर चौराहे से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई शॉपिंग की सोने की चैन बरामद हुई तत्पश्चात अभियुक्त की निशादेही पर उक्त घटना मे संलिप्त अभियुक्त समीर उर्फ समशूद्धीन को घटना मे प्रयुक्त मोबाइल फोन व अभियुक्त आस मौहम्मद से 01 सिम कार्ड की बरामदगी की गई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई ।

अपराध का तरीक:-

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त भास्कर के बताए अनुसार वह एच0डी0एफ0सी0 बैंक जोया मे लाइफ insurance विंग में डवलपमेन्ट मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त है तथा अभियुक्त समीर जियो कम्पनी का मैनेजर है जिसकी अभियुक्त भास्कर से गहरी दोस्ती है । अभियुक्त ने ऑन लाइन ठगी करने की योजना अपने अन्य साथी आस मौ0 (रिटेलर) व समीर के साथ मिलकर बनाई । अभियुक्तगणो द्वारा वादी के नाम से एक फर्जी सिम कार्ड खरीदा । जब वादी अर्जुन अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये बैंक में गया तो अभियुक्त भास्कर ने अर्जुन से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने वाले फॉर्म पर धोखे से दस्तखत ले लिये तथा वादी के जाने के बाद उसके मोबाइल नम्बर की जगह फर्जी सिम कार्ड का नम्बर को क्रेडिट कार्ड मे रजिस्टर्ड कर दिया जिसके बाद अभियुक्तगण ने उसी सिम कार्ड का प्रयोग करके धोखे से वादी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्लू स्टोन के द्वारा ऑन लाइन शॉपिंग करके पी सी ज्वेलर्स से सोने की चेने व अंगूठी मंगवाई तथा डिलीवरी अमरोहा अस्पताल

के पास ली जिसकी जानकारी वादी को बैंक से नोटिस जाने के बाद हुई ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. भास्कर शर्मा पुत्र दीपक शर्मा निवासी ग्राम लम्बिया थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. समीर उर्फ समशूद्दीन निवासी पुत्र जबरुद्दीन निवासी ग्राम अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
3. आस मौहम्मद पुत्र गुलाम मौहम्मद निवासी ग्राम अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. 01 मोबाइल फोन, सिम कार्ड , 01 सोने की चेन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मोहित चौधरी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. वरि0उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का0 योगेश सर्विलान्स टीम अमरोहा ।
4. हे0का0 अनिल सर्विलान्स टीम अमरोहा ।
5. हे0का0 मनीश सिरोही सर्विलान्स टीम अमरोहा ।
6. का0 लवि चौधरी सर्विलान्स टीम अमरोहा ।
7. का0 आकाश सर्विलान्स टीम अमरोहा ।